Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

विश्व मामलों की भारतीय परिषद में कंप्यूटर्स तथा पेरिफेरल्स, सर्वर एवं नेटवर्क उपस्करों के रख-रखाव के लिए

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा संख्या : आईसीडब्ल्यूए/आईटी/एएमसी/872/21/2018

समीक्षात्मक तिथि

प्रकाशन की तिथि	**02.04.2018**
बोली दस्तावेज डाउनलोड की आरंभिक तिथि	**02.04.2018**
स्पष्टीकरण की आरंभिक तिथि	**02.04.2018**
स्पष्टीकरण की अंतिम तिथि	**10.04.2018**
ऑनलाइन बोली जमा करने की आरंभिक तिथि	**12.04.2018**
आनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि	**25.04.2018**
आनलाइन तकनीकी बोली खोलने की तिथि	**26.04.2018**

अग्रिम जमा राशि 10,000/- रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में दिनांक 25 अप्रैल 2018 को 12 बजे तक जमा करनी है।

मैनुअल बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बोली सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की वेबसाइट http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर सिर्फ आनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड
नई दिल्ली, भारत

	विषय वस्तु की सारणी	
क्र. सं.	**विवरण**	**पेज संख्या**
	खंड 1: ऑनलाइन बोली के लिए आमंत्र (आईएफबी)	
1	निविदा आमंत्रण नोटिस	
2	कार्य का सामान्य कार्यक्षेत्र	
3	दोहरी बोली प्रणाली	
4	महत्वपूर्ण तिथियां	
	खंड II: संविदा की शर्तें (जीसीसी)	
5	अन्य निबंधन एवं शर्तें	
6	अप्रकटन अनुबंध तथा प्रतिभूति निगर्म	
7	संविदा की वैधता	
8	अग्रिम राशि जमा (ईएमडी)	
9	अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) का जब्त होना	
10	बोली दस्तावेज का संशोधन	
11	भ्रष्ट अथवा धोखाधड़ी कार्य	
12	बैंक गारंटी निष्पादन	
13	जुर्माना	
14	शासी कानून एवं विवाद	
	अनुबंध	
1	**परिषद में आईटी उपकरण की निर्देशात्मक सूची**	
2	**तकनीकी बोली प्रस्तुत करने का प्रपत्र**	
3	**वित्तीय बोली प्रस्तुत करने का प्रपत्र**	
4	**बैंक गारंटी निष्पादन का प्रपत्र**	
5	**समझौते के कार्यक्षेत्र का प्रपत्र**	
6	**बोलीदाता के लिए निर्देश**	
7	निविदा स्वीकार करने का पत्र	

खंड – I

आनलाइन बोली के लिए आमंत्रण (आईएफबी)

1. ई-निविदा आमंत्रण के लिए नोटिस : निम्नलिखित अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के कार्य में लगीं प्रतिष्ठित फर्मों/कंपनियों से आनलाइन बोली आमंत्रित की जाती है :

i. विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, नई दिल्ली के भवन में लगे कंप्यूटर / लैपटाप / प्रिंटर / सर्वर / यूपीएस तथा अन्य पेरिफेरल्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा

ii. इस निविदा के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी तथा वित्तीय) का अनुसरण किया जाएगा।

2. कार्य का सामान्य कार्यक्षेत्र:

i. वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) में परिषद की सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर अवसंरचना शामिल होगी। परिषद की सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक निर्देशात्मक सूची अनुबंध 1 में संलग्न है। संविदा अवधि के दौरान उपकरणों की संख्या में अंतर हो सकता है क्योंकि परिषद द्वारा पुराने/डायसफंक्शनल उपकरणों का सतत निपटान एवं नए उपकरणों की खरीद की जानी है;

ii. संविदा में हार्डवेयर और साफ्टवेयर शामिल हैं। इसमें समस्या को दूर करना, पुन: कनफिगरेशन, पुन: फार्मेट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडो, लाइनक्स, मैक आदि); ब्राउजर्स; ईमेल क्लायंट्स; कार्यालय साफ्टवेयर; वर्चुअल मशीन; एंटीवायरस; डाटा की पुन: प्राप्ति एवं इंस्टाल करना / कनफिगरेशन / परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अन्य साफ्टवेयर को हटाना तक ही सीमित नहीं है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम में एंटी-वायरस द्वारा न ढूंढ पाने वाले मलवेयर की पहचान करना तथा इसे हटाना भी शामिल है;

iii. संविदाकार सभी कार्य दिवसों में 9 बजे से 1730 तक एक इंजीनियर/तकनीशियन उपलब्ध कराएंगे। इंजीनियर/तकनीशियन के पास कंप्यूटर/आईटी/आईसीटी/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा अथवा आईटी उपकरण; साफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग में 4-5 साल के अनुभव के साथ बीसीए/बीएससी (आईटी)/एमएससी (सीएस)/एमसीए/बीटेक की अर्हता होनी चाहिए। परिषद में अनुरक्षण के लिए अपेक्षित सभी औजारों को संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा;

iv. तैनात इंजीनियर/तकनीशियन केवल भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसे सभी कार्य दिवसों में तथा आवश्यकता पड़ने पर गैर कार्य दिवसों में 9 बजे रिपोर्ट करना

होगा। सप्रू हाउस में रखे उपस्थिति रजिस्टर में उसे प्रत्येक दिन हस्ताक्षर करना होगा। संविदाकार द्वारा तैनात सभी इंजीनियर/तकनीशियन निदेशक/डीएस/यूएस, आईसीडब्ल्यूए जिसे आगे समन्वयक के रूप में संदर्भित किया गया है अथवा परिषद द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण एवं निगरानी में रहेंगे;

v. समन्वयक अथवा परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अनुदेश पर इंजीनियर / तकनीशियन काम करेंगे तथा निस्तारण की गई प्रत्येक शिकायत की शीट इन्हें सौंपेंगे। शिकायत शीट में शिकायत की प्रकृति, प्रभाग/कार्यालय की अवस्थिति तथा शिकायत का निवारण करने में लगने वाले समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। इंजीनियर को शिकायत शीट पर संबंधित प्रयोक्ता के हस्ताक्षर भी कराने होंगे, जो सेवा की गुणवत्ता एवं त्वरितता का आकलन करेंगे। संविदा प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर संविदाकार शिकायत दर्ज कराने तथा इसकी निगरानी के लिए एक कंप्यूटरीकृत नेटवर्क आधारित सिस्टम उपलब्ध कराएंगे;

vi. इंजीनियर/तकनीशियन के पास अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन होना चाहिए। इंजीनियर/तकनीशियन के सेवा से अनुपस्थित/छुट्टी पर रहने के दौरान एवजीदार उपलब्ध न कराने पर वार्षिक संविदा मूल्य की राशि में से 0.02 प्रतिशत की दर से प्रत्येक अनुपस्थिति/छुट्टी के लिए कटौती की जाएगी;

vii. शिकायत को एक घंटे के अंदर देखना होगा तथा असाधारण मामलों में शिकायत दो घंटे के अंदर देखनी होगी। यथासंभव मरम्मत संबंधी कार्य संबंधित स्थल पर ही किया जाएगा। उपकरणों की मरम्मत भवन के अंदर ही करनी होगी। समन्वयक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इसे भवन से बाहर नहीं ले जाया जाएगा;

viii. संविदा में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर से संबंधित सभी सुधार शामिल हैं। इंजीनियर को सुनिश्चित करना होगा कि सभी शिकायतें 1 घंटे के अंदर देखी जा रही हैं। किसी भी सिस्टम की मरम्मत की अधिकतम समय सीमा तीन कार्य दिवस तक रहेगी। ऐसा करने में विफल रहने पर डाउन टाइम के लिए 200 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) अथवा इसका अंश चिह्नित समय सीमा (शिकायत दर्ज होने के समय से 72 घंटे) पार करने के लिए प्रतिदिन की दर से वसूल किया जाएगा;

ix. अनुरक्षण एवं मरम्मत के प्रत्येक मामले में आवश्यकतानुसार 1500 रुपए मूल्य (मूल्यवर्धित कर को छोड़कर) के पुर्जों को बदलना शामिल है। तथापि, यह उपभोज्य वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। 1500 रुपए का मानदंड प्रत्येक मद (माउस, की-बोर्ड, विद्युत आपूर्ति यूनिट, पैच केबल, आरजे-45 कनेक्टर आदि, किसी एक सिंगल यूनिट/सिस्टम के लिए एक या एक से अधिक मद की जरूरत पड़ने पर यही दर लागू होगी)। यह भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त/जली हुई वस्तुओं की मरम्मत/बदलने पर भी लागू होगा। खराब उपकरण/वस्तु/पुर्जे को उसी गुणवत्ता वाले उपकरण/वस्तु/पुर्जे से बदला जाएगा। उपकरण उपलब्ध न होने पर उच्च विशेषता वाले उपकरण परिषद को स्वीकार्य होंगे तथा इन्हीं उपकरणों को लगाना होगा। किसी भी स्थिति में खराब उपकरण/वस्तु/पुर्जों की जगह पुराने पुर्जे नहीं लगाए जाएंगे। बदले गए खराब उपकरण/वस्तु/पुर्जों का उल्लेख अनुरक्षण रिकार्ड में किया जाएगा;

x. कंप्यूटर/पेरीफेरल से संबंधित अन्य रख-रखाव कार्य भी करने होंगे;

xi. आवश्यकता पड़ने पर विशेष उपकरणों के रख-रखाव को सरल बनाने के लिए संविदाकार मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) से संपर्क करेंगे;

xii. उपकरणों में बड़ी खराबी को रोकने के लिए संविदाकार प्रत्येक उपकरण की प्रत्येक तीन माह पर निवारक रख-रखाव करेंगे। निवारक रख-रखावों में समन्वयक के निर्देशानुसार उपकरणों की अंदर एवं बाहर से भौतिक रूप से सफाई; सिस्टम की सफाई; साफ्टवेयर का अद्यतनीकरण एवं सिस्टम की हार्डेनिंग शामिल है। प्रत्येक तिमाही में निवारक रख-रखाव की रिपोर्ट समन्वयक को प्रस्तुत करनी होगी। निवारक रख-रखाव के अंतर्गत उपकरणों की जांच न करने पर 25 रुपए जांच न किए गए प्रति उपकरण की दर से जुर्माना वसूला जाएगा;

xiii. परिषद में मलवेयर मुक्त कंप्यूटर वातावरण बनाए रखने तथा साफ्टवेयर/वायरस का पता लगाने वाली यंत्रावली का उन्नयन करने के लिए संविदाकार द्वारा आवश्यक कदम उठा जाएंगे;

2 संविदाकार परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सभी हार्डवेयर की खंडवार/अनुभागवार सूची बनाई जाएगी तथा इसे प्रत्येक तिमाही में अपडेट किया जाएगा। प्रत्येक हार्डवेयर उपकरण के लिए अतिरिक्त अनुरक्षण रिकार्ड भी रखना होगा;

x. उपकरणों के रख-रखाव के लिए आवश्यक ड्राइवर जैसे सीडी एवं फ्लॉपी आदि उपलब्ध कराने पड़ेंगे तथा इनका रख-रखाव करना पड़ेगा;

xi. मौजूदा अथवा संविदा करार पर हस्ताक्षर होने के बाद क्रय की गई वारंटी के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं की मरम्मत/रख-रखाव के संबंध में संविदाकर ओईएम से समायोजन करेंगे;

xii. संविदाकार इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि इंजीनियर/तकनीशियन सभी कार्य दिवसों तथा आवश्यकता पड़ने पर गैर कार्य दिवसों में वैध पहचान पत्र के साथ उचित पोशाक में कार्य के दौरान उपस्थित रहेंगे। इंजीनियर/तकनीशियन के छुट्टी पर जाने के दौरान अग्रिम रूप से वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे तथा इसकी पूर्व सूचना समन्वयक को देंगे;

3. दोहरी बोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) :

3.1 इस निविदा के लिए तकनीकी एवं वित्तीय दोहरी बोली प्रणाली अपनाई जाएगी। इस प्रणाली के तहत बोलीदाता सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की वेबसाइट : http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर आनलाइन बोली प्रस्तुत करेंगे। किसी भी स्थिति में मैनुअल बोली स्वीकार नहीं की जाएगी;

3.2 बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से न्यूनतम 180 दिनों के लिए बोली वैध रहेगी। अप्लावधि की बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी;

3.3 तकनीकी बोली निर्धारित तिथि को 3.30 बजे अपराहन में खोली जाएगी। तकनीकी बोली की जांच करने के बाद परिषद पात्र बोलीदाताओं का चयन करेगी तथा उन्हें वित्तीय बोली खोले जाने की तिथि एवं समय के बारे में सूचित करेगी;

3.4 वार्षिक अनुरक्षण संविदा अवधि के दौरान परिषद अनुरक्षण संविदा के लिए पेशकश की गई वस्तुओं की संख्या में घटोत्तरी अथवा बढ़ोत्तरी करने का अधिकार सुरक्षित रखती है;

3.5 प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों पर नंबर होने चाहिए तथा ये बोलीदाता की मुहर के साथ स्वप्रमाणित होने चाहिए;

3.6 उद्धृत की गई दरें निवल होंगी तथा इस पर कोई छूट नहीं होगी, उद्धृत नि:शुल्क सेवाओं/प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा;

3.7 यह निविदा अहस्तांतरणीय है;

3.8 परिषद बोली की न्यूनतम दर पर संविदा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा;

3.9 अनापेक्षित कारणवश यदि निविदा खोलने की तथि के दिन अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को यथानिर्धारित समय पर खोली जाएगी;

3.10 बिना कारण बताए परिषद एक या सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है;

3.11 नीचे दिए गए विववरण के अनुसार सभी तरह से पूर्ण आनलाइन बोली दो लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय बोली) में आनलाइन अपलोड की जाएगी:

लिफाफा नंबर 1 "तकनीकी बोली" (निम्नलिखित दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में आनलाइन अपलोड करना है)

क्र. सं./दस्तावेज	**फाइल**
i. 10,000 रुपए (दस हजार रुपए मात्र) की अग्रिम राशि जमा	पीडीएफ
ii. संविदाकार 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष के मूल्य की किसी एक वार्षिक अनुरक्षण संविदा के कार्य में तीन साल से अधिक अवधि से लगा होना चाहिए अथवा दो संविदा के मामले में 15 लाख प्रतिवर्ष या तीन संविदा के मामले में 10 लाख प्रतिवर्ष के कार्य में तीन साल से लगा होना चाहिए;	पीडीएफ
iii. विगत तीन वर्ष का लेखा परीक्षण तुलन पत्र जिसमें वार्षिक अनुरक्षण के लिए बोलीदाता के पास कम से कम 25 लाख रुपए के न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर का उल्लेख किया गया हो;	पीडीएफ
iv. बोलीदाता ने दिल्ली स्थित सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/कारपोरेट में कम से कम दो साल की अवधि के लिए पूर्व	पीडीएफ

अनुरक्षण संविदा का कार्य किया हो, जिसका कुल वार्षिक मूल्य 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। बोलीदाता/कंपनी को दिल्ली स्थित सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/कारपोरेट में विगत दो वर्षों में किए गए पूर्व अनुरक्षण कार्यों का डाउनटाइम विवरण प्रस्तुत करना होगा;	
v. बोलीदाता सहायता एवं अनुरक्षण कार्य सेवाओं में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हों;	पीडीएफ
vi. बोलीदाता को सुरक्षात्मक आनसाइट अनुरक्षण एवं सर्वर, क्लायंट्स, कंप्यूटर्स, लेजर/इंकजेट प्रिंटर्स, नेटवर्क, उपकरण, यूपीएस, स्कैनर और अन्य पेरिफेरल एवं असेसरीज की मरम्मत संबंधी कार्यों में निपुण होना चाहिए;	पीडीएफ
vii. बोलीदाता लैन ट्रबल शूटिंग के कार्य में भी निपुण एवं अनुभवी होना चाहिए। बोलीदाता ने लगातावार दो वर्षों में नोवेल/विंडो एनटी परिवेश के अधीन लैन से जुड़े 100 से अधिक कंप्यूटरों का न्यूनतम एक वार्षिक अनुरक्षण संतोषजनक रूप से निष्पादित किया हो। इस संबंध में कम से कम दो सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/कारपोरेट का निष्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	पीडीएफ
viii. बोलीदाता को कंपनी रजिस्ट्रार तथा निर्माण संविदा बिक्री कर विभाग दिल्ली के यहां पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास ईएसआई तथा पीएफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करते समय संविदाकार को ईएसआई और पीएफ कटौती से संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत करने होंगे।	पीडीएफ
ix. विगत तीन वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र	पीडीएफ
x. बोलीदाता को कंपनियों, संगठनों, जिसमें भारत स्थित विदेशी कंपनी भी शामिल हैं, विदेशी दूतावास जिसके साथ वर्तमान में अथवा विगत में मरम्मत/एएमसी/इंटरनेट केबलिंग कार्य करने के लिए उनके व्यावसायिक संबंध हों, की सूची प्रस्तुत करनी होगी। यदि परिषद के साथ वार्षिक अनुरक्षण संविदा अवधि के दौरान बोलीदाता ऐसी किसी संविदा में शामिल होता है, तो वह परिषद को तत्काल इस बारे में सूचना देगा;	पीडीएफ
xi. कार्य अवधि के दौरान बोलीदाता अथवा उसके कर्मचारी के पास कोई सूचना/डाटा/प्रमाणपत्र मिलता/प्राप्त होता है तो उसका प्रकटन किसी भी रूप में किसी के सामने नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामले में सरकारी गोपनीयता अधिनियम का प्रासंगिक भाग लागू होगा;	पीडीएफ
xii. बोलीदाता को इस बात का स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र देना होगा कि उसे किसी सरकारी विभाग द्वारा न तो काली सूची में डाला गया है और न ही बोलीदाता/संगठन अथवा इसके स्वामी या साझीदार के विरुद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है;	पीडीएफ
xiii. बोलीदाता को पंजीकरण नंबर, पैन नंबर, जीएसटी नंबर के आवंटन	पीडीएफ

से संबंधित स्व प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।	
xiv. कंपनी आईएसओ 9001:2008 तथा आईएसओ 20000-1:2005 प्रमाणित होनी चाहिए।	पीडीएफ
xv. यदि बोलीदाता उपर्युक्त तकनीकी अपेक्षाएं पूरी करता है तो वह अनुबंध-2 में दिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है। बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ आयकर विवरण भी संलग्न करना है।	पीडीएफ

3.12 लिफाफा नंबर 2 "वित्तीय बोली"

बोलीदाता/अधिकृत व्यक्ति की समुचित मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ अनुबंध 1 में विनिर्दिष्ट उपस्करों की निर्देशात्मक सूची की वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए व्यापक आधार पर दरें उद्धृत की जाएं।

i. निविदाकार/बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे निविदा भरने से पहले केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की वेबसाइट http://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से आनलाइन बोली के ई-प्रस्तुतिकरण के लिए इस निविदा दस्तावेज के अनुबंध-6 में विनिर्दिष्ट 'निविदा के लिए अनुदेश' में उपलब्ध अनुदेशों का पालन करें;

ii. निविदा की आवश्यकता के अनुसार सभी दस्तावेज केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की वेबसाइट http://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से आनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

iii. बोलीदाता द्वारा किसी भी अपेक्षित दस्तावेज को आनलाइन प्रस्तुत न करने पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा;

iv. तकनीकी एवं वित्तीय दोनो बोलियों को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल पर विधिवत हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना है;

v. आनलाइन निविदा में सम्मिलित होने के लिए बोलीदाता के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर की लागत, यदि कोई हो, को संबंधित निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा;

vi. भावी बोलीदाताओं को तदनुसार सलाह दी जाती है कि वे केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल पर दिए गए अनुदेशों को देखते रहें;

vii. विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 10000 रुपए (दस हजार रुपए मात्र) की अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) की मूल हार्ड प्रति भी मुहर बंद लिफाफा जिस पर "परिषद में कंप्यूटर एवं पेरिफरेल, सर्वर और नेटवर्क उपकरण कार्य के लिए निविदा" लिखा हुआ हो, को सचिव, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली को आनलाइन बोली के ई-प्रस्तुतिकरण की अंतिम तारीख को अथवा इससे पहले भेजना अपेक्षित है।

4. **महत्वपूर्ण तिथियां:**

प्रकाशन की तिथि	02.04.2018
बोली दस्तावेज डाउनलोड की आरंभिक तिथि	02.04.2018
स्पष्टीकरण की आरंभिक तिथि	02.04.2018
स्पष्टीकरण की अंतिम तिथि	10.04.2018
ऑनलाइन बोली जमा करने की आरंभिक तिथि	12.04.2018
आनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि	25.04.2018
आनलाइन तकनीकी बोली खोलने की तिथि	26.04.2018

i. सभी भावी बोलीदाता/अधिकृत प्रतिनिधि, जिन्होंने निविदा दस्तावेज डाउन लोड किया है, अपने प्रश्न, यदि कोई हो, लिखित में ईमेल : us@icwa.in और ddgoffice@icwa.in के माध्यम से सचिव, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को भेज सकते हैं।

ii. **परिषद के विवेकाधिकार पर अंतिम तिथि का विस्तार :** आनलाइन बोली के ई-प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि में परिषद अपने विवेकानुसार विस्तार कर सकता है तथा ये विस्तार सभी बोलीदाताओं पर लागू होंगे। इस संबंध में होने वाले किसी तरह के परिवर्तन/शुद्धिपत्र की जानकारी परिषद की वेबसाइट : www.icwa.in तथा केन्द्रीय लोक प्रापण की वेबसाइट : http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर प्रकाशित किया जाएगा;

iii. **तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली को खोलना :**

- अग्रिम राशि जमा के साथ प्राप्त सभी तरह से पूर्ण आनलाइन बोली निविदा दस्तावेज के पेज संख्या 1 में दी गई निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार बोलीदाताओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में, यदि उपलब्ध होंगे, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड नई दिल्ली में खोली जाएगी;
- बिना अग्रिम राशि जमा के प्राप्त होने वाली बोली सीधे तौर पर रद्द कर दी जाएगी;
- विधिवत रूप से गठित समिति बोलीदाताओं की पात्रता मानदंड का मूल्यांकन करेगी;
- सिर्फ उन्हीं बोलीदाताओं की तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा जिसकी बोली को समिति द्वारा पात्र घोषित किया जाएगा;
- इस बात का ध्यान रखा जाए कि तकनीकी बोली के साथ जमा किए गए अपेक्षित दस्तावेज का अवलोकन/जांच किया जाएगा तथा इसमें किसी तरह की कमी पाए जाने पर तकनीकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा वित्तीय बोली को नहीं खोला जाएगा;

- तकनीकी बोली की जांच करने बाद परिषद पात्र बोलीदाताओं का चयन करेगी तथा उन्हें प्राथमिकता के साथ वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय के बारे में ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा;
- निविदा खोलने की प्रक्रिया के समय उपस्थित होने वाले बोलीदाताओं के इच्छुक प्रतिनिधियों को इस संबंध में एक प्राधिकृत पत्र सौंपना होगा;
- अवांछनीय कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जाएगी;
- केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के आनलाइन माध्यम के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली बोली को साफ तौर पर रद्द कर दिया जाएगा;
- बोली के ई-प्रस्तुतिकरण/निविदा खोलने के बाद किसी बोलीदाता को निविदा वापसी की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा फर्म द्वारा जमा की गई ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा;

-------- खंड 1 की समाप्ति --------

खंड -II

संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

5. **अन्य निबंधन एवं शर्तें :**

i. संविदा सौंपे जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए यह वैध रहेगी। उद्धृत की गई दर पूरी संविदा अवधि के दौरान लागू रहेगी। संविदा अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में दर की समीक्षा करने की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा;

ii. संविदाकार को सप्रू हाउस, नई दिल्ली में सेवाएं उपलब्ध करानी हैं;

iii. समन्वयक की संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक तिमाही के अंत में सेवाओं के लिए भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन प्रयोक्ता द्वारा प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। सेवा की गुणवत्ता 95 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के नीचे रहने पर 5 प्रतिशत की गिरावट के लिए तिमाही भुगतान की जाने वाली राशि का 1 प्रतिशत जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा तथा 80 प्रतिशत के नीचे रहने पर प्रत्येक प्रतिशत की गिरावट के लिए तिमाही भुगतान की जाने वाली राशि का 2 प्रतिशत जुर्माना वसूल किया जाएगा;

iv. संविदाकार परिषद की स्पष्ट सहमति के बिना बीच में ही यदि कार्य छोड़ देता है तो उससे उच्च दर से वसूली की जाएगी अर्थात जो संविदाकार के साथ संविदा की गई, जिसका वैकल्पिक साधनों के माध्यम से संविदा की शेष अवधि के लिए परिषद द्वारा मशीनों के अनुरक्षण के लिए व्यय किया जाना है। उपर्युक्त बीच में काम छोड़ने का कार्य स्वत: संविदाकार को परिषद के साथ आगे के लेन-देन से वंचित करता है तथा निष्पादन बैंक गारंटी की राशि जब्त कर ली जाएगी;

v. संविदाकार परिषद की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इंजीनियर/तकनीशियन को नहीं बदलेंगे। इसके अतिरिक्त समन्वयक की आवश्यकता के अनुसार ऐसे मांग पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर संविदाकार तैनात किए गए इंजीनियर का एवजीदार उपलब्ध कराएंगे। ऐसा करने में असफल रहने पर परिषद द्वारा संविदा को रद्द किया जा सकता है और/अथवा संविदा के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है;

vi. यह सुनिश्चित करना संविदाकार की जिम्मेदारी है कि उसके कर्मचारी को विशेष रूप से वेतन दिए जाने के मामले में सभी प्रासंगिक कानूनों एवं विनियमों का पालन किया जा रहा है;

vii. यदि संविदाकार अथवा इसके किसी प्रतिनिधि द्वारा उपकरणों को कोई क्षति/नुकसान होता है तो इस क्षति के लिए संविदाकार को तिमाही आधार पर भुगतान की जाने वाली राशि में से क्षति के समतुल्य राशि की वसूली की जाएगी। इस संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा;

viii. संविदा अवधि पूरी होने के दौरान संविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी संबंधित साफ्टवेयर/ड्राइवर्स/अनुरक्षण रिकार्ड/रजिस्टर/बिल आदि समन्वयक के सुपुर्द कर दे। उपर्युक्त विनिर्देशन के अनुसार सफल सुपुर्दगी के बाद ही अंतिम तिमाही का भुगतान किया जाएगा;

ix. संविदाकार किसी भी स्थिति में पूरे अनुबंध अथवा इसके किसी भाग का उप अनुबंध तीसरे पक्षकार को नहीं देंगे;

x. संविदाकार/ओईएम द्वारा खराब सामानों (वारंटी के अधीन सामान) की मरम्मत होने तक अथवा परिषद द्वारा रिप्लेशमेंट उपलब्ध कराने तक (यदि इसकी कीमत 1500 रुपए से अधिक है - वैट की दर छोड़कर/ओईएम (यदि सामान वारंटी में है) यदि ये सामान सुधार के लायक न हों तो सप्रूहाउस भवन में स्टैंडबाई रिप्लेसमेंट प्रदान करने के लिए संविदाकार पर्याप्त मात्रा में स्पेयर पार्ट्स तथा पेरिफेरल्स रखेंगे जिसमें प्रोसेसर/मदरबोर्ड, लेजर जेट/इंकजेट प्रिंटर्स, एलसीडी/टीएफटी मॉनिटर, सीडी रोम/डीवीडी रोम, लैन कार्ड, एसवीजीए कार्ड, बाहरी हार्ड डिस्क आदि शामिल हैं। परंतु इनकी संख्या इन्हीं तक सीमित नहीं रहेगी। 1500 रुपए से कम का सामान - (वैट को छोड़कर) की रिप्लेशमेंट संविदाकार द्वारा अपनी लागत से की जाएगी;

xi. संविदाकार इस संविदा अनुरक्षण के अधीन किसी कंप्यूटर सिस्टम के असफल होने तथा किसी कंप्यूटर सिस्टम अथवा इसके पेरिफेरल की हार्ड ड्राइव/डिस्क/यूएसबी ड्राइव के क्रैश होने पर डाटा रिकवरी तथा इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। संविदाकार डाटा की रिकवरी के लिए आवश्यक साफ्टवेयर का स्टॉक तैयार रखेंगे;

xii. समन्वयक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना इंजीनियर/तकनीशियन किसी भी कंप्यूटर अथवा संबंधित पेरिफेरल्स की सेटिंग में बदलाव नहीं करेंगे;

xiii. संविदा के प्रावधान के संबंध में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर परिषद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा;

xiv. संविदाकार द्वारा संतोषजनक सेवा प्रदान करने में लगातार असफल रहने अथवा सुरक्षा आधार पर संविदा रद्द करने का अधिकार परिषद सुरक्षित रखता है;

xv. चयनित बोलीदाता अनुबंध 5 में दिए गए वार्षिक अनुरक्षण करार पर हस्ताक्षर करेंगे तथा लागू स्टैंप शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। परिषद द्वारा निर्धारित संविदा की तिथि से एक सप्ताह के अंदर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा;

6. अनुबंध का अप्रकटन तथा प्रतिभूति निर्गम

i. चयनित बोलीदाता इस बात का एक अप्रकटन अनुबंध (एनडीए) प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा तैनात कर्मचारी परिषद में सेवाकाल के दौरान प्राप्त/अधिग्रहीत किसी भी सूचना/डाटा को उजागर नहीं करेंगे;

ii. बोलीदाता द्वारा तैनात किए जाने वाले इंजीनियर/तकनीशियन की परिषद से पूर्व सुरक्षा क्लियरेंस लेना आवश्यक है। परिषद के पास इस बात का अधिकार होगा कि वह बोलीदाता द्वारा तैनाती के लिए प्रस्तावित किसी भी कर्मचारी को बिना कारण बताए अस्वीकृत कर दे। सेवा प्रदाता इन कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जाचं को सरल बनाने के लिए यथावश्यक सभी विवरण प्रस्तुत करेंगे;

संविदा की वैधता :

7. संविदा की आरंभिक अवधि संविदा प्राप्ति की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए होगी। उद्धृत दर संविदा की पूरी अवधि के दौरान लागू रहेगी। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी कीमत पर दर में संशोधन करने की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के आधार पर तथा दोनों पक्षकारों की लिखित में आपसी सहमति से वार्षिक अनुरक्षण संविदा पूर्ण होने के बाद एक बार में एक वर्ष उसी दर पर, निबंधन एवं शर्तों के साथ संविदा की अवधि को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

8. **अग्रम राशि जमा (ईएमडी)**

i. निविदा दस्तावेज के साथ अग्रिम राशि जमा 10000 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जिसकी वैधता अवधि तीन माह होगी, किसी राष्ट्रीय/शेड्यूल्ड बैंक में आहरित, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में देय, जमा किया जाएगा। बिना ईएमडी के प्रस्तुत की गई संविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। अग्रिम राशि जमा नकद/चेक/एफडीआर अथवा कोई अन्य रूप, डिमांड ड्राफ्ट को छोड़कर स्वीकार नहीं की जाएगी।

ii. अग्रिम राशि जमा की स्कैन प्रति तकनीकी बोली के साथ आनलाइन जमा की जाएगी तथा इसकी मूल प्रति सचिव, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली को निविदा सौंपे जाने की अंतिम तिथि एवं समय अर्थात 2 अप्रैल, 2018 को 4 बजे से पूर्व जमा की जाए।

iii. परिषद द्वारा स्वीकार न की गई बोलीदाता (बोलीदाताओं) की अग्रिम राशि जमा सफल बोलीदाताओं के साथ किए गए अनुबंध करार पर हस्ताक्षर की तिथि से 30 दिनों के अंदर लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की अग्रिम राशि जमा निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने के बाद लौटाई जाएगी। तथापि, प्रतिभूति जमा राशि को लौटाने में किसी कारणवश विलंब होने पर बोलीदाता को किसी तरह के ब्याज/जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाएगा;

9. अग्रिम राशि जमा का जब्त करना:

अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी-

i. यदि बोलीदाता निविदा में विनिर्दिष्ट बोली वैधता अवधि के दौरान बोली वापस लेता है;

ii. यदि बोली दाता संविदा/आदेश प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर लिखित में स्वीकृति देने में असफल होता है;

iii. यदि सफल बोलीदाता बैंक गारंटी निष्पादन देने में असफल होता है;

10. बोली दस्तावेज में संशोधन

I. बोली प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा से पूर्व किसी समय, किसी कारणवश, चाहे यह परिषद की पहल हो अथवा भावी बोलीदाता द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में हो, बोली दस्तावेज में परिषद द्वारा संशोधन किया जा सकता है;

II. बोली दस्तावेज खरीदने वाले सभी भावी बोलीदाताओं को संशोधन के संबंध में लिखित में सूचना दी जाएगी तथा ऐसे संशोधन/परिवर्तन को मानने के लिए वे बाध्य होंगे;

III. बोली अवधि के दौरान यदि बोली दस्तावेज में कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिषद अपने विवेकाधिकार से भावी बोलीदाताओं को बोली तैयार करते समय संशोधनों पर विचार करने हेतु बोली प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा को बढ़ा सकती है;

11. भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण कार्य

i. इस निविदा के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उच्च नीतिपरक मानदंड वाले होंगे;

ii. परिषद बोली को अस्वीकार कर सकता है यदि उसे यह पता चलता है कि बोली प्रदान करने के लिए अनुशंसित बोलीदाता इस संविदा की प्रतिस्पर्धा के लिए भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण कार्य में संलिप्त है;

iii. यदि किसी समय यह पता चलता है कि संविदा निष्पादन के दौरान बोलीदाता किसी भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण कार्य में संलिप्त है, तो परिषद बोलीदाता को अनिश्चितकाल के लिए अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए अपात्र घोषित कर सकती है;

12. बैंक गारंटी निष्पादन :

i. सफल बोलीदाता दो सप्ताह के अंदर अनुबंध 4 में संलग्न प्रारूप के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के पक्ष में कुल बोली मूल्य की 10 प्रतिशत राशि की दर से संविदा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 माह तक वैध रहने वाला एक निष्पादन बैंक गारंटी जमा करेंगे;

ii. यदि सफल निविदाकार निर्धारित अवधि के अंदर बैंक गारंटी जमा करने में असफल रहता है तो उसकी प्रतिभूति राशि जमा जब्त कर ली जाएगी तथा बोलीदाता को परिषद की भावी निविदाओं में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा;

13. जुर्माना :

i. वार्षिक अनुरक्षण संविदा में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर से संबंधित सभी सुधार शामिल हैं। इंजीनियर को सुनिश्चित करना होगा कि सभी शिकायतें 1 घंटे के अंदर देखी जा रही हैं। किसी भी सिस्टम की मरम्मत की अधिकतम समय सीमा तीन कार्य दिवस तक रहेगी। ऐसा करने में विफल रहने पर डाउन टाइम के लिए 200 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) अथवा इसका अंश निर्धारित समय सीमा (शिकायत दर्ज होने के समय से 72 घंटे) पार करने के लिए प्रतिदिन की दर से वसूल किया जाएगा।

ii. कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन प्रयोक्ता द्वारा प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। सेवा की उत्कृष्टता 95 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के नीचे रहने पर प्रत्येक 5 प्रतिशत की गिरावट के लिए तिमाही भुगतान की जाने वाली राशि का 1 प्रतिशत जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा तथा 80 प्रतिशत के नीचे रहने पर प्रत्येक 5 प्रतिशत की गिरावट के लिए तिमाही भुगतान की जाने वाली राशि का 2 प्रतिशत जुर्माना वसूल किया जाएगा;

iii. प्रत्येक तिमाही में एक निवारक रख-रखाव रिपोर्ट कंप्यूटर अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी। निवारक रख-रखाव के अंतर्गत उपकरणों की जांच न करने पर 25 रुपए जांच न किए गए प्रति उपकरण की दर से जुर्माना वसूला जाएगा;

iv. संविदाकार परिषद की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इंजीनियर/तकनीशियन को नहीं बदलेंगे। इसके अतिरिक्त समन्वयक की आवश्यकता के अनुसार ऐसे मांग पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर संविदाकार तैनात किए गए इंजीनियर का एवजीदार उपलब्ध कराएंगे। ऐसा करने में असफल रहने पर परिषद द्वारा संविदा को रद्द किया जा सकता है और/अथवा संविदा के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है;

v. जुर्माने की राशि, यदि कोई है, तिमाही भुगतान/निष्पादन बैंक गारंटी से वसूल की जाएगी;

vi. संविदाकार द्वारा संतोषजनक सेवा प्रदान करने में लगातार असफल रहने अथवा सुरक्षा आधार पर संविदा रद्द करने का अधिकार परिषद सुरक्षित रखता है;

14. फोर्स मेजर :

इस निविदा दस्तावेज में उल्लेख के अनुसार परिषद जुर्माने तथा डिलीवरी/सर्विस अपेक्षाओं में छूट प्रदान करने पर विचार कर सकती है, यदि संविदा के अधीन कार्य के निष्पादन में देरी अथवा कर्तव्यों के निवर्हन में असफलता, फोर्स मेजर के कारण हुई हो। फोर्स मेजर को ऐसे कार्य प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी अपेक्षा प्राकृतिक आपदा, राज्यों के कार्य, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष युद्ध का

परिणाम (घोषित अथवा अघोषित) विद्वेष, राष्ट्रीय आपदा, आंतरिक विद्रोह अथवा सफल बोलीदाता के परिसर आदि में यथोचित रूप से न की गई हो।

15. शासी विधि एवं विवाद :

i. यह भारत के कानून द्वारा शासित और नियंत्रित किया जाएगा और पार्टियां इस प्रकार दिल्ली न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन रहेंगी;

ii. कोई भी मामला जिसका उल्लेख अनुबंध में नहीं किया गया है, पक्षकारों द्वारा आपसी समझ एवं सहयोग तथा विश्वास से विचार-विमर्श कर सुलझाया जाएगा;

(राजेश लाल)
अवर सचिव
विश्व मामलों की भारतीय परिषद,
सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली - 110001
दूरभाष : 2375 3615
फैक्स : 2331 0638

---------- खंड ॥ की समाप्ति ----------

सारणी संख्या 1 : विश्व मामलों की भारतीय परिषद में आईटी उपकरणों की निर्देशात्मक सूची

क्र. सं.	मद*	मात्रा**
1.	डेस्कटॉप	75
2.	आल इन वन डेस्कटॉप	3
3.	प्रिंटर	53
4.	यूपीएस (1 केवीए)	50
5.	यूपीएस (5 केवीए)	2
6.	स्कैनर	3
7.	लैपटॉप	5
8.	सर्वर	2
9.	वाई-फाई अक्सेसप्वाइंट	5
10.	क्यूएनएपी स्टोरेज	1
11.	प्रबंधनीय/अप्रंधनीय स्विच (24 पोर्ट)	17
12.	डेल सोनिक वाल नेटवर्क सुरक्षा उपकरण	1
13.	स्थित लैन का आकार	85

*** उपकरणों का संक्षिप्त विवरण आईटी अनुभाग, कमरा नंबर 17, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली में भावी बोलीदाताओं द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत पत्र जिस पर बोलीदाता की मुहर एवं हस्ताक्षर हो, पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है।**

****संविदा सौंपते तथा वैधता अवधि के दौरान यूनिटों की वास्तविक संख्या में अंतर हो सकता है।**

अनुबंध II

तकनीकी प्रस्ताव

1. कंपनी का नाम	
2. पता (फोन नंबर, फैक्स नंबर एवं ईमेल के साथ)	
3. संपर्क व्यक्तति	

4.(क) अनुरक्षण कार्य में अनुभव का वर्ष		
(ख) प्रतिवर्ष अनुरक्षण का कुल मूल्य विगत तीन वर्षों का व्यवसाय	2015-16	
	2016-17	
	2017-18	
(ग) दिल्ली में सरकारी कार्यालयों सहित ग्राहकों की संख्या		

5. (क) पंजीकरण संख्या	
(ख) पैन संख्या	
(ग) जीएसटी संख्या	

6. वार्षिक अनुरक्षण संविदा

सहायक इंजीनियर एवं			
तकनीशियन			
	कुल संख्या	अर्हता	अनुभव

7. कम से कम विगत दो वर्षों का पूर्व अनुरक्षण संविदा

संगठन का नाम	संपर्क व्यक्ति	एएमसी की अवधि	एएमसी का मूल्य	डाउनटाइम

8. बोली वैधता की अवधि	

9. इस प्रारूप के साथ निम्नलिखित संलग्नकों की पुष्टि करें

क. कंपनी के संबंध में तकनीकी लिटरेचर
ख. पूर्व ग्राहक से संतोषजनक प्रमाण पत्र;
ग. विगत तीन वर्षों का लेखा परीक्षणतुलन पत्र
घ. कंपनी के रजिस्ट्रार एवं दिल्ली में पंजीकरण का प्रमाण पत्र

ड. बिक्री कर विभाग (कार्य संविदा कर के लिए); कर्मचारी का ईएसआई एवं पीएफ पंजीकरण

च. समस्या के समाधान के लिए एसकेलेशन मैट्रिक्स (मैट्रिक्स में कंपनी के मुख्य कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी, पद, फोन नंबर, फैक्स नंबर तथा एसकेलेशन मैट्रिक्स में उल्लिखित अधिकारी का ईमेल पता शामिल है)

छ. विवरण में निविदा दस्तावेज के पैरा 3.11 (v); (vi); (vii); (xi) एवं (xv) में अपेक्षित सूचना

ज. निविदा दस्तावेज के पैरा 3.11 (xiv) में अपेक्षित स्वप्रमाणित छाया प्रतियां

झ. निविदा दस्तावेज के पैरा 3.11 (xiv) में अपेक्षित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र

ञ. 10000 रुपए की अग्रिम राशि जमा

<u>घोषणा</u>

मैं यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि जहां तक मुझे ज्ञात और पता है ऊपर दिया गया विवरण पूरी तरह सत्य एवं सही है। हम जानते हैं कि यदि किसी भी स्थिति में उपर्युक्त बयान में कोई विचलन पाया जाता है तो कंपनी काली सूची में डाल दी जाएगी तथा भविष्य में विश्व मामलों की भारतीय परिषद के साथ कोई लेन-देन नहीं होगा।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुबंध- III

वित्तीय प्रस्ताव

1.	कंपनी का नाम	
2.	पता	
3.	टेलीफोन नंबर तथा फैक्स नंबर	
4.	संपर्क व्यक्ति	
5.	अनुबंध 1 में आईटी उपकरणों की निर्देशात्मक सूची के अनुसार वार्षिक अनुरक्षण संविदा की दर	

टिप्पणी :

1. उद्धृत दरों में सभी कर आदि शामिल हैं।
2. दरों में परिवहन प्रभार, 1500 रुपए तक के स्पेयर पार्ट्स - मूल्यवर्धित कर / सामान सेवा कर आदि इसमें शामिल नहीं है।
3. प्रिंटर हेड, रिबन, कार्ट्रिज, बैटरी, फ्लॉपी एवं सीडी आदि जैसी उपभोज्य वस्तुओं को बदलना इसमें शामिल नहीं हैं।

मैं यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि जहां तक मुझे ज्ञात और पता है ऊपर दिया गया विवरण पूरी तरह सत्य एवं सही है। हम जानते हैं कि यदि किसी भी स्थिति में उपर्युक्त बयान में कोई विचलन पाया जाता है तो कंपनी काली सूची में डाल दी जाएगी तथा भविष्य में विश्व मामलों की भारतीय परिषद के साथ कोई लेन-देन नहीं होगा।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-IV

कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी के लिए प्रपत्र

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक पेपर पर)

भारत के राष्ट्रपति (बाद में ''सरकार'' के रूप में) की ओर से .... और .... (बाद में ''ठेकेदार'' के रूप में) के बीच ....(बाद में ''कथित समझौते'' के रूप में) के लिए प्रस्तावित समझौते के नियम और शर्तों को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया है, कथित समझौते के नियम और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों के अनुपालन के संबंध में ठेकेदार(रों) द्वारा सुरक्षा/गारंटी के रूप में रुपये................ (रुपये .... केवल) की अचल बैंक गारंटी देने पर सहमति हुई है।

1. हम .... (बाद में ''बैंक'' के रूप में) सरकार की मांग पर एतद्द्वारा सरकार को रुपये .... (रुपये........... केवल) का भुगतान करने का वचन देते हैं।

2. हम एतद्द्वारा बिना किसी आपत्ति के सरकार की मांग पर बकाया और इस गारंटी के तहत देय राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, और निर्दिष्ट करते हैं कि दावा की गयी राशि को वसूल या कथित ठेकेदार(रों) की ओर से किए जाने की आवश्यकता है। बैंक द्वारा की गयी ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा देय और देय राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालांकि, इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को रु. .... (केवल ....रुपये) से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

3. हम, कथित बैंक, आगे सरकार को किसी भी प्रकार के भुगतान का वचन करते हैं, ठेकेदार(रों) द्वारा उठाए गये किसी भी अदालत या किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा उससे संबंधित समक्ष लंबित किसी भी विवाद या विवादों के बावजूद मांग में इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व पूर्ण और स्पष्ट हैं। इस गारंटी के तहत हमारे द्वारा किए गये भुगतान के लिए उसके अधीन भुगतान के लिए हमारे दायित्व का निर्वहन वैध होगा, और ठेकेदार(रों) द्वारा इस तरह के भुगतान करने के लिए हमारे खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

4. हम .... आगे इस बात से सहमत हैं कि गारंटी जो कथित समझौते के निष्पादन के लिए ली जाएगी, पूरी अवधि के दौरान पूरी शक्ति और प्रभाव में रहेगी और यह जारी रहेगी जब तक कि सरकार की सभी बकाया राशि या कथित समझौते के अंतर्गत और आधार पर पूरी तरह से भुगतान किया गया हो तथा इसके दावे संतोषजनक और निर्वाह किए गये हों और सरकार की ओर से प्रमाणित करने के बाद कि ठेकेदार(रों) द्वारा कथित समझौते के नियमों और शर्तों को पूरी तरह और ठीक से क्रियान्वित किया गया है, और उसी के अनुसार इस गारंटी का निर्वहन किया जाएगा।

5. हम .... आगे सरकार के साथ सहमत हैं कि सरकार, हमारी सहमति के बिना, और इसके अंतर्गत किसी भी तरीके से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना, कथित समझौते के नियमों और शर्तों से भिन्न कार्य करने हेतु, या समय पर कथित ठेकेदार द्वारा कार्य-निष्पादन के समय का विस्तार करने, या सरकार द्वारा कथित ठेकेदार के खिलाफ किसी भी समय या समय पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को स्थगित करने और कथित समझौते के संबंध में नियमों और शर्तों में से किसी को भी लागू करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, और हमें कथित ठेकेदार(रों) को मंजूर किए गये किसी भी तरह के बदलाव या विस्तार के कारण या सरकार के की तरफ से कोई चूक होने पर, कथित ठेकेदार(रों) को क्षमा या से आसक्त या जमानतियों से संबंधित विधि के तहत किसी ऐसे मामले द्वारा हमारे दायित्व में छूट नहीं दी जाएगी, परन्तु इस प्रावधान से हमें छूट देना प्रभावी नहीं होगा।

6. इस गारंटी को बैंक या ठेकेदार(ठेकेदारों) के संविधान में परिवर्तन की वजह से खारिज़ नहीं किया जाएगा।

7. अंत में हम .... इस गारंटी का लिखित रूप में परिषद के साथ पूर्व सहमति को छोड़कर प्रतिसंहरण न करने का वचन देते हैं।

8. यह गारंटी .... तक वैध होगी, जब तक कि परिषद् की मांग पर इसे बढ़ाया नहीं जाता। जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, इस गारंटी के प्रति हमारा दायित्व रुपये .... (रुपये .... केवल) तक प्रतिबंधित है, और जब तक लिखित रूप में समाप्ति की तारीख से छह महीने या बढ़ी हुई समय-सीमा की समाप्ति के भीतर हमारे साथ दावा दर्ज न कराया जाए इस गारंटी के तहत हमारे सभी दायित्व स्थिर रहेंगे।

.... के लिए दिनांक .... को ....दिन.........

(बैंक का नाम)

अनुबंध-5

विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली एवं मैसर्स .... नई दिल्ली के मध्य विश्व मामलों की भारतीय परिषद में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, सर्वर, नेटवर्क उपकरण आदि के अनुरक्षण के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध

करार का कार्यक्षेत्र

1. वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) विश्व मामलों की भारतीय परिषद (बाद में इसे "ग्राहक" के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा मैसर्स......................... (बाद में इसे "संविदाकार के रूप में संदर्भित किया गया है) में परिषद में आईटी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर अवसंरचना तथा इंटरनेट केबलिंग कार्य का अनुरक्षण शामिल है। परिषद में लगे आईटी उपकरणों की निर्देशात्मक सूची अनुबंध-1 में संलग्न है। संविदा अवधि के दौरान उपकरणों की संख्या में अंतर हो सकता है क्योंकि परिषद द्वारा पुराने/डायसफंक्शनल उपकरणों का सतत निपटान एवं नए उपकरणों की खरीद की जानी है;

2. हार्डवेयर सप्रूहाउस, बाराखंबा रोड नई दिल्ली में लगे हैं। अनुबंध में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का अनुरक्षण तथा इंटरनेट केबल की मरम्मत/बिछाना शामिल है। इसमें समस्या को दूर करना, पुन: कनफिगरेशन, पुन: फार्मेट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडो, लाइनक्स, मैक आदि); ब्राउजर्स; ईमेल क्लायंट्स; कार्यालय साफ्टवेयर; वर्चुअल मशीन; एंटीवायरस; डाटा की पुन: प्राप्ति एवं इंस्टाल करना / कनफिगरेशन / परिषद द्वारा अनुमोदित किसी अन्य साफ्टवेयर को हटाना तक ही सीमित नहीं है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम में एंटी-वायरस द्वारा न ढूंढ पाने वाले मलवेयर की पहचान करना तथा इसे हटाना भी शामिल है;

3. संविदाकार सभी कार्य दिवसों में 9 बजे से 1730 तक एक इंजीनियर/तकनीशियन उपलब्ध कराएंगे। इंजीनियर/तकनीशियन के पास कंप्यूटर/आईटी/आईसीटी/इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा अथवा आईटी उपकरण; साफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग में 4-5 साल के अनुभव के साथ बीसीए/बीएससी (आईटी)/एमएससी (सीएस)/एमसीए/बीटेक की अर्हता होनी चाहिए। परिषद में अनुरक्षण के लिए अपेक्षित सभी औजारों को संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा;

4. तैनात इंजीनियर/तकनीशियन केवल भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसे सभी कार्य दिवसों में तथा आवश्यकता पड़ने पर गैर कार्य दिवसों में 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। सप्रू हाउस में रखे उपस्थिति रजिस्टर में उसे प्रत्येक दिन हस्ताक्षर करना होंगे। संविदाकार द्वारा तैनात सभी इंजीनियर/तकनीशियन निदेशक/डीएस/यूएस, आईसीडब्ल्यूए जिसे आगे समन्वयक के रूप में संदर्भित किया गया है अथवा परिषद द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण एवं निगरानी में रहेंगे;

5. समन्वयक अथवा परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अनुदेश पर इंजीनियर / तकनीशियन काम करेंगे तथा निस्तारण की गई प्रत्येक शिकायत की शीट इन्हें सौंपेंगे। शिकायत शीट में शिकायत की प्रकृति, प्रभाग/कार्यालय की अवस्थिति तथा शिकायत का निवारण करने में लगने वाले समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। इंजीनियर को शिकायत शीट पर संबंधित प्रयोक्ता के हस्ताक्षर भी कराने होंगे, जो सेवा की गुणवत्ता एवं त्वरितता का आकलन करेंगे। संविदा प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर संविदाकार शिकायत दर्ज कराने तथा इसकी निगरानी के लिए एक कंप्यूटरीकृत नेटवर्क आधारित सिस्टम उपलब्ध कराएंगे;

1. इंजीनियर/तकनीशियन के पास अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन होना चाहिए। इंजीनियर/तकनीशियन के सेवा से अनुपस्थित/छुट्टी पर रहने के दौरान संविदाकार द्वारा एवजीदार उपलब्ध न कराने पर वार्षिक संविदा मूल्य की राशि में से 0.02 प्रतिशत की दर से प्रत्येक अनुपस्थिति/छुट्टी के लिए कटौती की जाएगी;

2. शिकायत को एक घंटे के अंदर देखना होगा तथा असाधारण मामलों में शिकायत दो घंटे के अंदर देखनी होगी। यथासंभव मरम्मत संबंधी कार्य संबंधित स्थल पर ही किया जाएगा। उपकरणों की मरम्मत अंदर ही करनी होगी, समन्वयक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इसे भवन से बाहर नहीं ले जाया जाएगा;

3. संविदा में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर से संबंधित सभी सुधार शामिल हैं। इंजीनियर को सुनिश्चित करना होगा कि सभी शिकायतें 1 घंटे के अंदर देखी जा रही हैं। किसी भी सिस्टम की मरम्मत की अधिकतम समय सीमा तीन कार्य दिवस तक रहेगी। ऐसा करने में विफल रहने पर डाउन टाइम के लिए 200 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) अथवा इसका अंश चिह्नित समय सीमा (शिकायत दर्ज होने के समय से 72 घंटे) पार करने के लिए प्रतिदिन की दर से वसूल किया जाएगा;

4. अनुरक्षण एवं मरम्मत के प्रत्येक मामले में आवश्यकतानुसार 1500 रुपए मूल्य (मूल्यवर्धित कर को छोड़कर) के पुर्जों को बदलना शामिल है। तथापि, यह उपभोज्य वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। 1500 रुपए का मानदंड प्रत्येक मद (माउस, की-बोर्ड, विद्युत आपूर्ति यूनिट, पैच केबल, आरजे-45 कनेक्टर आदि, यदि किसी एक सिंगल यूनिट/सिस्टम के लिए एक या एक से अधिक मद की जरूरत पड़ने पर यही दर लागू होगी)। यह भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त/जली हुई वस्तुओं की मरम्मत/बदलने पर भी लागू होगा। खराब उपकरण/वस्तु/पुर्जे को उसी गुणवत्ता वाले उपकरण/वस्तु/पुर्जे से बदला जाएगा। उपकरण उपलब्ध न होने पर उच्च विशेषता वाले उपकरण परिषद को स्वीकार्य होंगे तथा उन्हीं उपकरणों को लगाना होगा। किसी भी स्थिति में खराब उपकरण/वस्तु/पुर्जों की जगह पुराने पुर्जे नहीं लगाए जाएंगे। बदले गए खराब उपकरण/वस्तु/पुर्जों का उल्लेख अनुरक्षण रिकार्ड में किया जाएगा;

9. आवश्यकता पड़ने पर विशेष उपकरणों के रख-रखाव को सरल बनाने के लिए संविदाकार मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) से संपर्क करेंगे;

10. उपकरणों में बड़ी खराबी को रोकने के लिए संविदाकार प्रत्येक उपकरण की प्रत्येक तीन माह पर निवारक रख-रखाव करेंगे। निवारक रख-रखावों में समन्वयक के निर्देशानुसार उपकरणों की अंदर एवं बाहर से भौतिक रूप से सफाई; सिस्टम की सफाई; साफ्टवेयर का अद्यतनीकरण एवं सिस्टम की हार्डेनिंग शामिल है। प्रत्येक तिमाही में निवारक रख-रखाव की रिपोर्ट समन्वयक को प्रस्तुत करनी होगी। निवारक रख-रखाव के अंतर्गत उपकरणों की जांच न करने पर 25 रुपए जांच न किए गए प्रति उपकरण की दर से जुर्माना वसूला जाएगा;

11. यदि संविदाकार अथवा इसके किसी प्रतिनिधि द्वारा उपकरणों को कोई क्षति/नुकसान होता है तो इस क्षति के लिए संविदाकार को तिमाही आधार पर भुगतान की जाने वाली राशि में से क्षति के समतुल्य राशि की वसूली की जाएगी। इस संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा;

12. संविदाकार/ओईएम द्वारा खराब सामानों (वारंटी के अधीन सामान) की मरम्मत होने तक अथवा परिषद द्वारा रिप्लेशमेंट उपलब्ध कराने तक (यदि इसकी कीमत 1500 रुपए से अधिक है - वैट की दर छोड़कर/ओईएम (यदि सामान वारंटी में है) यदि ये सामान सुधार के लायक न हों तो सप्रूहाउस भवन में स्टैंडबाई रिप्लेसमेंट प्रदान करने के लिए संविदाकार पर्याप्त मात्रा में स्पेयर पार्ट्स तथा पेरिफेरल्स रखेंगे जिसमें प्रोसेसर/मदरबोर्ड, लेजर जेट/इंकजेट प्रिंटर्स, एलसीडी/टीएफटी मॉनिटर, सीडी रोम/डीवीडी रोम, लैन कार्ड, एसवीजीए कार्ड, बाहरी हार्ड डिस्क आदि शामिल हैं। परंतु इनकी संख्या इन्हीं तक सीमित नहीं रहेगी। 1500 रुपए से कम के सामान - (वैट को छोड़कर) की रिप्लेशमेंट संविदाकार द्वारा अपनी लागत से की जाएगी;

13. संविदाकार इस संविदा अनुरक्षण के अधीन किसी कंप्यूटर सिस्टम के असफल होने तथा किसी कंप्यूटर सिस्टम अथवा इसके पेरिफेरल की हार्ड ड्राइव/डिस्क/यूएसबी ड्राइव के क्रैश होने पर डाटा रिकवरी तथा इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। संविदाकार डाटा की रिकवरी के लिए आवश्यक साफ्टवेयर का स्टॉक तैयार रखेंगे;

14. समन्वयक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना इंजीनियर/तकनीशियन किसी भी कंप्यूटर अथवा संबंधित पेरिफेरल्स की सेटिंग में बदलाव नहीं करेंगे;

15. संविदाकार परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सभी हार्डवेयर की खंडवार/अनुभागवार सूची बनाएंगे तथा इसे प्रत्येक तिमाही में अपडेट करेंगे। प्रत्येक हार्डवेयर उपकरण के लिए अतिरक्त अनुरक्षण रिकार्ड भी रखना होगा;

16. उपकरणों के रख-रखाव के लिए आवश्यक ड्राइवर जैसे सीडी एवं फ्लॉपी आदि उपलब्ध कराने पड़ेंगे तथा इनका रख-रखाव करना पड़ेगा;

17. मौजूदा अथवा संविदा करार पर हस्ताक्षर होने के बाद क्रय की गई वारंटी के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं की मरम्मत/रख-रखाव के संबंध में संविदाकर ओईएम से समायोजन करेंगे;

18. संविदाकार इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि इंजीनियर/तकनीशियन सभी कार्य दिवसों तथा आवश्यकता पड़ने पर गैर कार्य दिवसों में वैध पहचान पत्र के साथ उचित पोशाक में कार्य के दौरान उपस्थित रहेंगे। इंजीनियर/तकनीशियन के छुट्टी पर जाने के दौरान अग्रिम रूप से वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे तथा इसकी पूर्व सूचना समन्वयक को देंगे;

19. संविदाकार परिषद की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इंजीनियर/तकनीशियन को नहीं बदलेंगे। इसके अतिरिक्त समन्वयक की आवश्यकता के अनुसार ऐसे मांग पत्र के 10 दिनों के अंदर संविदाकार तैनात किए गए इंजीनियर का एवजीदार उपलब्ध कराएंगे। ऐसा करने में असफल रहने पर परिषद द्वारा संविदा को रद्द किया जा सकता है और/अथवा संविदा के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है;

20. समन्वयक की संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक तिमाही के अंत में सेवाओं के लिए भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन प्रयोक्ता द्वारा प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। सेवा की गुणवत्ता 95 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के नीचे रहने पर 5 प्रतिशत की गिरावट के लिए तिमाही भुगतान की जाने वाली राशि का 1 प्रतिशत जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा तथा 80 प्रतिशत के नीचे रहने पर प्रत्येक प्रतिशत की गिरावट के लिए तिमाही भुगतान की जाने वाली राशि का 2 प्रतिशत जुर्माना वसूल किया जाएगा;

21. संविदा प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए वैध होगी। उद्धृत दर संविदा की पूरी अवधि के दौरान लागू रहेगी। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी कीमत पर दर में संशोधन करने की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

22. यह सुनिश्चित करना संविदाकार की जिम्मेदारी है कि उसके कर्मचारी को विशेष रूप से वेतन दिए जाने के मामले में सभी प्रासंगिक कानूनों एवं विनियमों का पालन किया जा रहा है;

23. संविदाकार परिषद की स्पष्ट सहमति के बिना बीच में ही यदि कार्य छोड़ देता है तो उससे उच्च दर से वसूली की जाएगी अर्थात जो संविदाकार के साथ संविदा की गई, जिसका वैकल्पिक साधनों के माध्यम से संविदा की शेष अवधि के लिए परिषद द्वारा मशीनों के अनुरक्षण के लिए व्यय किया जाना है। उपर्युक्त बीच में काम छोड़ने का कार्य स्वत: संविदाकार को परिषद के साथ आगे के लेन-देन से वंचित करता है तथा निष्पादन बैंक गारंटी की राशि जब्त कर ली जाएगी;

24. संविदा अवधि पूरी होने के बाद संविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी संबंधित साफ्टवेयर/ड्राइवर्स/अनुरक्षण रिकार्ड/रजिस्टर/बिल आदि समन्वयक के सुपुर्द कर दे। उपर्युक्त विनिर्देशन के अनुसार सफल सुपुर्दगी के बाद ही अंतिम तिमाही का भुगतान किया जाएगा;

25. संविदाकार किसी भी स्थिति में पूरे अनुबंध अथवा इसके किसी भाग का उप अनुबंध तीसरे पक्षकार को नहीं देंगे;

26. संविदाकार विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली को कुल बोली मूल्य की 10 प्रतिशत राशि --------------------- रुपए बैंक गारंटी निष्पादन के रूप में जमा करेंगे। संविदा समाप्त होने के बाद यह राशि संविदाकार को वापस कर दी जाएगी;

27. संविदा के प्रावधान के संबंध में किसी भी विवाद (विवादों) के उत्पन्न होने पर परिषद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा;

28. संविदाकार द्वारा संतोषजनक सेवा प्रदान करने में लगातार असफल रहने अथवा सुरक्षा आधार पर संविदा रद्द करने का अधिकार परिषद सुरक्षित रखता है;

अनुबंध की अवधि :

यह अनुरक्षण अनुबंध पूर्वाह्न ...., 2018 से शुरू होकर अपराह्न .... 2019 तक एक साल की अवधि के लिए वैध रहेगा। संविदा अवधि समाप्त होने के बाद इसे दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक समय में एक वर्ष के लिए, उसी दर, निबंधन एवं शर्तों के साथ, यदि दोनो पक्षकार सहमत हों।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार :

सभी विवाद, कानूनी मामले, अदालत के मामले, यदि कोई हो, को नई दिल्ली में सुलझाए जाएंगे।

अनुबंध :

सभी कर सहित कुल वार्षिक अनुरक्षण प्रभार .... रुपए (.......................................मात्र) होगा। समन्वयक अथवा ग्राहक द्वारा अधिकृत व्यक्ति से संतोषजनक प्रमाणन के बाद शुल्क का भुगतान तिमाही आधार पर बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। जुर्माना, यदि कोई हो, संविदाकार के तिमाही बिल से काट लिया जाएगा।

ग्राहक के लिए:	**संविदाकार के लिए:**
हस्ताक्षर: नाम: पद : उप महानिदेशक अधिकारी की मुहर : दिनांक ....2018 को हस्ताक्षरित	हस्ताक्षर: नाम: पद: कंपनी की मुहर: दिनांक ....2018 को हस्ताक्षरित

गवाह :

1.

2.

बोलीदाता के लिए अनुदेश

आनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश :

बोलीदाताओं को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से अपनी बोली की सॉफ्ट प्रतियों को प्रस्तुत करना है। नीचे दिए गए अनुदेश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर करने, आवश्यकतानुसार बोली को तैयार करने तथा उसे सीपीपी पोर्टल पर प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करेंगे।

सीपीपी पोर्टल पर आनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और उपयोगी सूचना https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण

1 बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल, जो कि नि:शुल्क है, पर "आनलाइन बिडर एनरोलमेंट" पर क्लिक करके केन्द्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (URL: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रापण मॉड्यूल पर नामांकित करना है।

2 नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को एक अनोखा प्रयोक्ता नाम चुनना है तथा अपने एकाउंट के लिए एक पासवर्ड निर्धारित करना है।

3 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपना वैध ईमेल पता तथा मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इन्हें सीपीपी पोर्टल से किसी संप्रेषण के लिए प्रयोग किया जाएगा।

4 नामांकन के बाद बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए भारत (जैसे सिफी/टीसीएस/एनकोड/इमुद्रा आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (कक्षा 2 अथवा कक्षा 3 प्रमाण पत्र साइनिंग की यूजेज के साथ) पंजीकृत करना है।

5 एक बोलीदाता द्वारा केवल एक डीएससी पंजीकृत की जाएगी। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता अपनी डीएससी किसी अन्य को नहीं देंगे नहीं तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

6 इसके बाद बोलीदाता अपनी यूजर आईडी/पासवर्ड तथा डीएससी/ई-टोकन के पासवर्ड को एंटर करते हुए सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट पर लॉग-इन करेंगे।

निविदा दस्तावेज को ढूंढना

1. विभिन्न पैरामीटरों द्‌वारा सक्रिय निविदा की खोज को सरल बनाने के लिए सीपीपी पोर्टल पर विभिन्न सर्च विकल्प दिए गए हैं। इन पैरामीटरों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, लोकेशन, तारीख, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदा के लिए अग्रिम सर्च विकल्प भी मौजूद है, जिसमें बोलीदाता संगठन नाम, संविदा का प्रपत्र, लोकेशन, दिनांक, अन्य कीबोर्ड आदि को कई सर्च पैरामीटरों से जोड़ सकते हैं।

2. बोलीदाताओं द्‌वारा एकबार अपनी रुचि के अनुसार निविदा चयनित करने के बाद वे अपेक्षित दस्तावेज / निविदा सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित फोल्डर 'माई टेंडर' में डाला जा सकता है। निविदा दस्तावेज से संबंधित कोई शुद्‌धिपत्र जारी किए जाने पर यह एसएमएस/ईमेल के माध्यम से बोलीदाताओं को सूचित करने के लिए सीपीपी पोर्टल को समर्थ बनाएगा।

3. बोलीदाता यदि हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण / सहायता चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक निविदा के लिए दी गई अनोखी निविदा आईडी का एक नोट बनाना चाहिए।

बोली तैयार करना

1 बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित होने वाले शुद्धिपत्र की जांच कर लें।

2 बोली के भाग के रूप में सौंपे जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। कृपया बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लिफाफों की संख्या, दस्तावेजों की संख्या जिसमें नाम तथा सौंपे जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज की विषयवस्तु शामिल है, को नोट कर लें। इनमें किसी तरह की चूक होने पर बोली अस्वीकृत हो सकती है।

3 निविदा दस्तावेज/अनुसूची में दिए गए निर्देशों के अनुसार बोलीदाता को बोली दस्तावेजों को अग्रिम रूप से तैयार रखना चाहिए। सामान्यतया ये पीडीएफ / एक्सएलएस / आरएआर / डीडब्ल्यूएफ / जेपीजी प्रारूप में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को 100 डीपीआई में काले एवं सफेद विकल्प, जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है, में स्कैन किया जा सकता है।

4 मानक दस्तावेज के उसी सेट को अपलोड करने के लिए, जो कि प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत मानक दस्तावेज का किया जाना है, में लगने वाले समय एवं श्रम की बचत के लिए ऐसे मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड कॉपी, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने के लिए बोलीदाताओं के लिए प्रावधान किया गया है। बोलीदाता उपलब्ध "माई स्पेस'' अथवा "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज'' क्षेत्र का प्रयोग दस्तावेज को अपलोड करने के लिए कर सकते हैं। इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में बचत होगी।

बोली को प्रस्तुत करना

1 बोली प्रस्तुत करने के लिए बोलीदाता को साइट पर पहले से लॉग इन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अपलोड कर सकें अर्थात बोली प्रस्तुत किए जाने के समय अथवा इससे पहले। किसी अन्य कारणवश विलंब के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।

2 निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देशों के अनुसार बोलीदाता को एक एक करके आवश्यक बोली दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने हैं तथा उन्हें अपलोड करना है।

3 बोलीदाता को लागू निविदा शुल्क / ईएमडी के भुगतान के लिए भुगतान विकल्प "ऑफलाइन" का चयन करना है तथा दस्तावेजों का विवरण भरना है।

4 बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देशों के अनुसार अग्रिम राशि जमा तैयार करनी चाहिए। निविदा में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार अथवा बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक इसे मूल रूप में डाक/कोरियर/व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारी को देना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण/कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज जो भौतिक रूप से भेजा गया हो, को स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा बिल प्रस्तुत करते समय प्रविष्ट किए गए डाटा से मिलान करना चाहिए।

5 सभी बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड कर भरा जाना है। बोलीदाताओं को बीओक्यू (BoQ) फाइल डाउनलोड करनी है, इसे खोलें तथा सफेद रंग (असुरक्षित) के प्रकोष्ठ में अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरण (जैसे बोलीदाता का नाम) भरना है। अन्य प्रकोष्ठों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विवरण पूरा होने के बाद बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए तथा फाइल के नाम में परिवर्तन किए बिना इसे आनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा बीओक्यू फाइल में कोई परिवर्तन किया हुआ पाया जाता है, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

6 बोलीदाता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित सर्वर समय बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करना, बोली खोलने आदि के लिए मानक समय संदर्भ के रूप में अतिम समय सीमा माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करते समय इस समय का पालन करना चाहिए।

7 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेज डाटा की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई एनक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एनक्रिप्टेड होना चाहिए। प्रविष्ट किए गए डाटा को बोली खोले जाने के समय तक कोई भी अनधिकृत व्यक्ति इसे नहीं देख सकता। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एनक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बोली की गोपनीयता को बनाए रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्र का डाटा स्टोरेज एनक्रिप्शन किया गया है। सर्वर से अपलोड किया गया कोई भी दस्तावेज सिस्टम जनरेटेड सिमेट्रिक 'की' का प्रयोग करते हुए किया गया है। इसके अतिरिक्त यह क्रेता/बोलीदाता ओपनर्स पब्लिक 'की' का प्रयोग करते हुए असाइमेट्रिक एनक्रिप्शन से संबंधित है। कुल मिलाकर अपलोड किया गया निविदा दस्तावेज को तभी पढ़ा जा सकता है जब इसे अधिकृत निविदा खोलने वाला इस निविदा को खोल रहा हो।

8. अपलोड किया गया निविदा दस्तावेज को तभी पढ़ा जा सकता है जब इसे अधिकृत निविदा खोलने वाला इस निविदा को खोल रहा हो।

9. सफल एवं समय से निविदा प्रस्तुत करने पर (अर्थात पोर्टल में ''फ्रीज बिड सबमिशन'' पर क्लिक करने के बाद) पोर्टल सफल बोली प्रस्तुत करने का संदेश देगा तथा बिड नंबर के साथ बिल का सारांश और अन्य आवश्यक विवरणों के साथ बोली प्रस्तुत किए जाने की तारीख एवं समय प्रदर्शित होगा।

10. बोली सारांश को प्रिंट किया जा सकता है तथा इसे बोली प्रस्तुत किए जाने की पावती के रूप में रखा जा सकता है। इस पावती को बोली खोले जाने वाली बैठक में प्रवेश पास के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को सहायता

1 निविदा दस्तावेज तथा इसमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए निविदा आमंत्रण अधिकारी अथवा निविदा में दिए गए किसी संबंधित व्यक्ति को संबोधित करें।

2 आनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अथवा सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए 24x7 सीसीपी पोर्टल हेल्पडेस्क से संपर्क किया जाए। हेल्पडेस्क के लिए टेलीफोन नंबर : 1800 3070 2232, विदेशी बोलीदाता +91-7878007972, +91-7878007973 नंबरों पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

<u>**निविदा स्वीकृति पत्र**</u>

(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाना है)

दिनांक :

सेवा में,

उप महाप्रबंधक
विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली-110001

विषय : निबंध एवं शर्तों को स्वीकार करना

निविदा संदर्भ संख्या : आईसीडब्ल्यूए/एएमसी/872/21/2015-16

निविदा का नाम / कार्य : परिषद में कंप्यूटर पेरिफेरल्स, सर्वर एवं नेटवर्क उपकरण के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा

महोदय,

1. मैंने/हमने ऊपर उल्लिखित वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार वेबसाइट : .... से उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों) को डाउनलोड/प्राप्त कर लिया है।

2. मैं/हम .... यह प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेज के पृष्ठ संख्या .... से ....(सभी दस्तावेज सहित जैसे अनुबंध (अनुबंधों), अनुसूची (अनुसूचियों), आदि), जो कि संविदा अनुबंध का एक भाग है। मैं/हम एतद्द्वारा इसमें निहित निबंधन/शर्तों/उपबंधों का पालन करेंगे।

3. यह स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय समय पर जारी किए गए शुद्धपत्र (शुद्धिपत्रों) को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों) / शुद्धिपत्र (शुद्धिपत्रों) की निविदा शर्तों को संपूर्ण रूप से / पूरी तरह बिना शर्त स्वीकार कर लिया है।

5. मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा काली सूची/बहिष्कृत नहीं किया गया है।

6. मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी फर्म द्वारा सौंपी गई सभी सूचना सत्य एवं सही हैं। यदि कोई सूचना गलत/असत्य अथवा उल्लंघन करती हुई पाए जाने पर आपके विभाग/संगठन द्वारा बिना किसी नोटिस दिए अथवा उसका कारण बताए बोली अस्वीकृत अथवा रद्द कर दी जाएगी, बिना किसी अधिकार के पूर्वाग्रह अथवा निदान के, जिसमें अग्रिम राशि जमा को पूरी तरह जब्त करना भी शामिल है।

भवदीय,

(कार्यालय की मुहर सहित बोलीदाता का हस्ताक्षर)

*****